न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/6ए/02/2019

राज.सरकार जरिये तुलसी सैनी निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राहुल पुत्र चन्द्रभान सिंह जाति जाट निवासी रारह तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. भरतपुर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 भरतपुर।
3. मनीष शर्मा व्यवस्थापक भरतपुर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 भरतपुर।

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985

निर्णय दिनांक 14.10.2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.11.2018 को प्रार्थी द्वारा गुन्सारा पुलिस चौकी पर एक ट्रैक्टर–ट्रोली (सोनालिका डीआई) में 200 बैग यूरिया कृभको कम्पनी के संदिग्ध अवस्था में राजस्थान से उत्तरप्रदेश की तरफ कालाबाजारी हेतु ले जाये जा रहे थे। ट्रैक्टर–ट्रोली को रूकवाया गया। मौके पर ट्रैक्टर–ट्रोली के ड्राईवर राहुल पुत्र चन्द्रभान जाति जाट निवासी रारह अप्रार्थी संख्या 01 से ट्रैक्टर व यूरिया से सबंधित कागजात व बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त खाद की जब्ती की कार्यवाही करने के पश्चात् ड्राईवर ने अवगत कराया कि उक्त खाद के कट्टे मै0 भरतपुर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 भरतपुर के नाम 175 कट्टों के बिल प्रस्तुत किये जिनका जब्त किये गये 200 यूरिया के कट्टों से मिलान नही खा रहा था। उक्त बिल प्रथम दृष्टया कूटरचित प्रतीत हो रहे थे। उक्त बिल मै0 भरतपुर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 भरतपुर ने ऑफलाइन जारी किये गये थे जो कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियम विरूद्व है क्योंकि उर्वरक के बिल पोस मशीन द्वारा ही जारी किये जाना अनिवार्य है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त यूरिया का परिवहन कालाबाजारी व

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

अवैध व्यापार का मानते हुए खाद उर्वरक नियंत्रण आदेश –1985 के तहत (क्लॉज 28(1)(डी) के अन्तर्गत जब्त किया गया। मौके पर निरीक्षण के दौरान पाई गई उक्त अनियमितताऐं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 3(3), 7 व 8 का स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आते है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि उक्त उर्वरक को संदिग्ध मानते हुए नियंत्रण आदेश –1985 के (क्लॉज 28(1)(डी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जब्ती की कार्यवाही की गई व व नियमानुसार नमून आहरित किये गये ताकि खाद की गुणवत्ता की जांच कराई गई जांच में उक्त खाद गुणवत्ता पूर्ण पाया गया। मौके पर जब्त उर्वरक 200कट्टा यूरिया कृभको ब्राण्ड को भरतपुर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 भरतपुर के व्यवस्थापक मनीष शर्मा पुत्र कैलाशचन्द्र शर्मा को सुपुर्द किया व ट्रेक्टर मय ट्रोली को थाना उद्योग नगर भरतपुर की सुरक्षा में सौपा गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना 6ए में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के अनुसार जब्तशुदा उर्वरक 200 कट्टे कृभको ब्राण्ड यूरिया को राजसात करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस धारा 6बी ईसी एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाब पेश नही किया गया । उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 को राजस्थान सीमा से उत्तरप्रदेश की तरफ जाते हुये अप्रार्थी संख्या 01 को ट्रेक्टर मय ट्रोली पकडा गया । ट्रेक्टर–ट्राली में 200 कट्टे कृभको यूरिया के थे जिनकी पूछताछ करने पर ड्राईवर द्वारा कोई सन्तोषजनक जबाब नही दिया। उक्त यूरिया की जब्ती की कार्यवाही के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ने 175 कट्टो का बिल दिया जो कि भरतपुर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति भरतपुर का था । उक्त बिल ऑफलाइन था पोस मशीन से नही लिया गया जो कि राज्य सरकार के निर्देशों की पालना नही की गई है। यूरिया का परिवहन को अवैध मानते हुये एवं निरीक्षण में पाई गई अनियमितताऐ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानानुसार जब्त की कार्यवाही की गई । मौके पर जब्त उर्वरक 200 कट्टा यूरिया कृभको ब्राण्ड को भरतपुर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 भरतपुर के व्यवस्थापक मनीष शर्मा पुत्र कैलाशचन्द्र शर्मा को सुपुर्द किया व ट्रेक्टर मय ट्रोली को थाना उद्योग नगर भरतपुर की सुरक्षा में सौपा गया।

पैरोकार ने अपने कथनों से अवगत कराया है कि प्रकरण में तीनो अप्रार्थीगण द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश –1985 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उक्त उर्वरक को क्रय विक्रय समिति भरतपुर द्वारा विक्रय कराकर विक्रय राशि 53300/– को राजकोष में जमा

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

करायी जा चुकी है तथा ट्रेक्टर मय ट्रोली को रिलीज की कार्यवाही की जा चुकी है। अन्त में पैरोकार कृषि द्वारा प्रार्थना की है कि प्रकरण में कोई कार्यवाही वांछित नही होने के कारण अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कोई जबाब पेश नही किया। अभिभाषकगण अप्रार्थीगण द्वारा की गई कार्यवाही को अनुचित बताते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। वक्त मौका निरीक्षण में खाद के 200 कट्टे कृभको यूरिया का अवैध परिवहन कर राज्य सरकार के नियमों की पालना न कर उक्त खाद की कालाबाजारी व अवैध व्यापार किया जाना पाया गया है जो कि विधि विरूद्व है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6ए स्वीकार किया जाकर जप्त 200 कट्टे कृभको खाद यूरियां को राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त 200 कट्टे कृभको खाद यूरिया को राजसात (Confiscate) किया जाता है। निर्णय की प्रति सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) भरतपुर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निणर्य आज दिनांक 14.10.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर